उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या: 2039 / VII-II/09 / 204–उद्योग / 2009
देहरादूनः दिनांकः 04 नवम्बर 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387 / 697–उ0नि0 / पी0एस0 / आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति / दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्रांकः 2522 / उ0नि0–मैगा प्रोजैक्ट / 09–10 दिनांक 22 अगस्त 2009 के संन्दर्भ में मै0 श्रावन्थी इनर्जी प्रा0 लि0 Third फ्लोर राईडर हाउस, 136, सेक्टर–44 गुडगॉव को ग्राम–खाईखेड़ा तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर में मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना के अंतर्गत **"Generation and Transmission of Electricity Energy Product in Gas Based Thermal Power Plants"** इकाई की स्थापना हेतु कुल अनुबन्धित 46.7532 एकड़ भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने हेतु जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका मे अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)
ग्राम– खाईखेड़ा तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर।	7, 12, 15, 16,1 7, 18, 19 एवं 40	46.7532 एकड़

2. उक्त तालिका में अंकित खसरा भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50 / 2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 में किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। अतः इस भूमि पर स्थापित होने वाले उद्योग को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3 GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों / उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4 इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः धारा–154(4)(3)(V) के अन्तर्गत शासन से भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त कर आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भूखण्ड मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

6 विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति / अनुमति / अनुमोदन / अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक / कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7 क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग **"Generation and Transmission of Electricity Energy Product in Gas Based Thermal Power Plants"** आदि उत्पादों के विनिर्माण की इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

क्रमशः 2

8-- निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में से कम्पनी द्वारा न्यूनतम 30 एकड़ भूमि (in continuation) स्वयं कम्पनी के नाम क्रय करनी होगी।

9 गैस बेस्ड पॉवर प्लांट की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन एवं संचारण के लिए यदि राज्य सरकार की ऊर्जा नीति/प्रभावी नियमों/कानूनों के अनुसार कोई शर्त उल्लिखित की जानी हो तो उसे भूमि क्रय की अनुमति पत्र में उल्लेख किया जा सकता है।

10. आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

11. विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना विशेष औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

12. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:2039 (1)/ VII-II/09/204 उद्योग/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, 2-न्यू कैण्ट रोड, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
14. मै0 श्रावन्थी इनर्जी प्रा0 लि0 3rd फलोर, राईडर हाउस, 136, सेक्टर-44 गुडगॉव।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।